न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 59/2025
जी.सी.एम.एस. नं.: 2025/107

1. वसन सिंह पुत्र अमर सिंह जाति मजबी निवासी 3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. ईश्वरदास पुत्र प्रहलादराम जाति धानक निवासी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर **–: अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री विजय जसूजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1**
3. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 13.08.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि चक 3 डीजेएम मु.नं. 12 कि.नं. 4/2 से 2/1 व 1 में आने जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि कि.नं. 4/1, 3, 2/2 में 16.5 फुट चौडाई में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जाचं रिपोर्ट तलब की गयी।
3. प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकील उभयपक्ष अपनी बहस में राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण निस्तारित करने हेतु निवेदन किया। पक्षकारों में रास्ता की एवज में भूमि दिए जाने पर सहमति बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उभयपक्ष सहमत है। ऐसी स्थिति में राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

–: आदेश :–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 3 डीजेएम मु.नं. 12 प.नं. 221/435 का कि.नं. 4/1 में 0.012है., 3 में 0.015है. व 2/2 में 0.012है. कुल 0.039है. उत्तर दिशा मुरब्बा लाईन पर गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। राजीनामा अनुसार प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थी सं. 1 को अपनी खातेदारी भूमि में से चक 3 डीजेएम मु.[illegible] कि.नं. 1 में से 0.015है., 2/1 में से 0.003 व 4/2 में से 0.003 व 5 [illegible] .018है. कुल 0.039है. दक्षिण दिशा प्रदान करेगा। त[illegible] की खातेदारी में से उक्त भूमि कम करते हुए अप्रार्थी सं. 1 [illegible] करे तथा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित [illegible] जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13/8/2025 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:32:12 IST
Reason: SelfAttested